

विदेशी विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी

गुडगांव, सोनीपत, अम्बाला, रोहतक, जीनंद तथा कुश्केत

पार्सि क्रमांक 303-4/48-86 पै० रि० (1)

दिनांक चण्डीगढ़ 16-7-87

विषय:-

अराजकीय मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालयों को 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली के लिए अपग्रेड करना

निम्नलिखित अराजकीय मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालयों को वैशिक वर्ष 1987-88 से 10 जमा 2 की शिक्षा प्रणाली लागू करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- 1- सेंट क्रिस्टियन हाई स्कूल, गुडगांव
- 2- हिन्दू कन्या विद्यालय, सोनीपत
- 3- एस०एम० हिन्दू हाई स्कूल सोनीपत
- 4- माई बेम चन्द एस.डी. गर्ल्स हाई स्कूल सोनीपत
- 5- एस०डी० हाई स्कूल अम्बाला छावनी
- 6- के.एच.एम.माडत हैप्पी चाइल्ड हाई स्कूल, बडादुरगढ रोहतक
- 7- हैप्पी नर्सरी एण्ड हाई स्कूल जीनंद
- 8- जनता हाई स्कूल कुश्केत

यह स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि विद्यालय के प्रबन्धक इस सम्बन्ध में सरकार से किसी अनुदान/वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेंगे तथा इस बारे में किसी अनुसार छात्रों को सभी सुविधाओं अपने स्तर पर प्रदान करेंगे अर्थात्

111 10 जमा 2 की कक्षाओं के लिए केवल उन्हीं विद्यार्थियों को तयाना जाए, जिन्होंने सम्बन्धित विषय में एम.ए./एम.एस.सी. की परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों।

121 जिन विद्यालयों में विज्ञान विषय पढ़ाये जायें, वहाँ पर प्रत्येक विषय के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला होनी चाहिए।

131 सभी छात्रों के लिए फरबीचर इत्यादि का उचित प्रबंध होना चाहिए।

सहायक निदेशक सैकंडरी शिक्षा

विदेशी विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़


पुस्तक संकलन में पाठ्य सामग्री दिनांक चण्डीगढ़ 16/7/87

जाती है:- इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं अवगत कार्यवाही हेतु भेजी

- 1- मुख्य अधिकारी सभी सम्बन्धित विद्यालय
- 2- सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, गिवालीपुर
- 3- निदेशक एस. सी. डी. आर. टी. हरियाणा, गुडगांव
- 4- सचिव विद्यालय - गाजा तथा अजंदा
- 5- सुधीर सेजल

सहायक निदेशक सैकंडरी शिक्षा

विदेशी विद्यालय शिक्षा हरियाणा



Sudhir Cecil Joseph
Manager
St. Ursula's Sr. Sec. School
New Railway Road, Gurugram

कार्यालय निदेशक शिक्षा विभाग हरियाणा ।

=====

आदेश क्रमांक 23/13-78 वि I (5)

दिनांक 2.3.79

सेन्ट क्रिस्तोफियन हाई स्कूल, गुड़गाँवा को पहली से दसवीं अग्रे तक 1.4.79 से स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है ।

अतिरिक्त राजदान
निदेशक शिक्षा विभाग (स्कूल)
हरियाणा ।

पू.0 क्रमांक 23/13-78 वि I(5)

दिनांक, चण्डीगढ़ 16.8.79

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

भेजी जाती है :-

1. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी ।
2. चैयरमैन, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, चण्डीगढ़ ।
3. अधीक्षक पुस्तक (स्थानीय)
4. सहायक निदेशक (आंकड़ा)
5. सेवा अधिकारी (आडिट)
6. मैनेजर, सेन्ट क्रिस्तोफियन, उच्च विद्यालय, गुड़गाँवा ।
7. विद्यालय शाखा के सहायक विद्यालय-2 तथा विद्यालय-3
8. डिविजनल सुपरिटेण्डेन्ट, (कर्मशोयल) उत्तरी रेलवे, नई दिल्ली ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी/को उनके पत्र क्रमांक जी I/79/167-68 दिनांक 13.2.79 के संदर्भ में ।



Dr. Sudhir Cecil Joseph
Manager
St. Crispin's Sr. Sec. School
New Railway Road, Gurugram

जी. सुधीर सेजियु 17/3
सहायक निदेशक विद्यालय - II
निदेशक शिक्षा विभाग हरियाणा ।